राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक :– प.35(1)गृह–9/2006पार्ट जयपुर, दिनांकः– 29 NOV 2018

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 2782
दिनांक 20/12/18

–:: अधिसूचना ::–

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जैसलमेर जिले से सटी हुई पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के 3–4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिकोण से पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग करने बाबत् प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।

राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि जैसलमेर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी मोबाईल सर्विस कम्पनी की सिम के उपयोग की अवांछनीय गतिविधियों को रोके जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/10865–11000 दिनांक 30.10.2018 द्वारा लागू किये गये आदेश (प्रतिबन्ध) की अवधि बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक न्यायिक/2018/10865–11000 दिनांक 30.10.2018 की अवधि एतद्द्वारा आगामी छः माह तक बढ़ाई जाती है।

AS 13/12/2018

राज्यपाल की आज्ञा से

(सुबेसिंह यादव)
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

13/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को उनके पत्र क्रमांक न्यायिक/2018/10865–11000 दिनांक 30.10.2018 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, सीमा क्षेत्र, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, सेक्टर मुख्यालय, जैसलमेर ।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दिनांक 29 NOV 2018 के आसाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
7. उप शासन सचिव गृह ग्रुप–6 विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(सुबेसिंह यादव)
विशिष्ठ शासन सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग